ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

मयंकी ने बढ़ाया
आत्मनिर्भरता की ओर कदम
(पृष्ठ – 02)

सतत् जीविकोपार्जन योजना से
बदली जिंदगी
(पृष्ठ – 03)

अतिनिर्धन परिवारों को
स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने
एवं मुख्य धारा से जोड़ने की पहल
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – अप्रैल 2022 ।। अंक – 09

सतत् जीविकोपार्जन योजना : गाथा स्वावलंबन की कहानी सशक्तिकरण की

गाँव की गरीब महिलायें और उनका परिवार अब आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है। गरीबी रेखा से भी नीचे गुजर–बसर करने वाले परिवार अब समृद्धि की राह पर हैं। जीविका के संबल से स्वरोजगार के तहत गाँव की गरीब महिलायें विभिन्न प्रकार का व्यवसाय कर रही हैं। किराना दुकान, श्रृंगार दुकान, मवेशी पालन, मुर्गी पालन, मसाला पिसाई दुकान, सिलाई–कटाई केंद्र एवं दुग्ध उत्पादन आदि जैसे व्यवसाय से जुड़कर आर्थिक उन्नति की राह पर चल पड़ी हैं। कल तक जो परिवार आर्थिक तंगी से परेशान और सूदखोरों के चंगुल में रहने को आदि था, अब वो खुद गाँव की अन्य महिलाओं और उनके परिवार को गरीबी के आगोश से बाहर निकालने के लिए कदम मिला रही हैं। महज तीस हजार रुपये से व्यवसाय शुरू कर अब गाँव–समाज कि ये महिलायें जिन्हें अब जीविका दीदी के नाम से भी जाना जाता था अब बड़ी व्यवसाई बन रही हैं। इनमे वैसी महिलायें और उनका परिवार भी है जो कल तक ताड़ी या शराब व्यवसाय से जुड़ी थी। बिहार में शराबबंदी कानून लाये जाने के बाद शराब और ताड़ी के पेशा से जुड़े लोगों को स्वरोजगार के दूसरे साधन उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती थी। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी सतत् जीविकोपार्जन योजना ने गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण महिलाओं एवं उनके परिवार के आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हुई है। अप्रैल 2018 से प्रारंभ की गई सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़कर महिलायें खुद के साथ–साथ अपने बच्चों को भी सामाजिक उन्नति के सभी अव्वयों से परिचय उन्हें लाभान्वित कर रही हैं। बिहार सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवार की सतत आजीविका, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुवात की गई है। इस योजना को अमलीजामा पहनाने की जिम्मेवारी जीविका की है। जीविका ने सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत लक्षित परिवार का चयन कर उन्हें योजना से जोड़ कर लाभान्वित करते हुए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया है स जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु निवेश की दिशा में औसतन 60 हजार रूपया अधिकतम 1 लाख रूपया सहयोग क्रमशः दिया जाता है। लक्षित एवं चयनित परिवारों का अनुमोदन ग्राम संगठन द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात माइक्रो प्लानिंग के बाद चयनित परिवार के मुखिया को उनके हुनर और इच्छा के अनुरूप स्वरोजगार के लिए राशि मुहैया कराई जाती है। सतत् जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत कल तक ताड़ी या शराब व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए ग्राम संगठन में उनके नाम का अनुमोदन किया जाता है। ग्रान संगठन में चयन की सहमति के तदोपरांत सबसे पहले विशेष निवेश निधि अंतर्गत दस हजार रुपये की राशि दी जाती है। तत्पश्चात् दुकान को आगे बढाने एवं जीविकोपार्जन के लिए अंतराल राशि के तहत 7 हजार एवं जीविकोपार्जन निवेश निधि के अंतर्गत 20 हजार रुपये दिए जाते हैं। स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण एवं संबल देने का कार्य और प्रक्रिया जीविका द्वारा निरंतर जारी है। इसके उत्साहजनक परिणाम भी दिखने लगे हैं। गांवो में अब ताड़ी–शराब के बदले जीविका दीदियों के स्वावलंबन की दुकाने खुल गई है। सतत् जीविकोपार्जन योजना गाँव–गाँव में आर्थिक एवं सामाजिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण की लौ उज्ज्वलीत हो रही है। पवन की वेग और आंधियों ने उनके घरों के दिए बुझा दिए थे, अब वही दिए रौशन हो रहे हैं। सतत् जीविकोपार्जन योजना से लाभान्वित होकर स्वावलंबी होने वाली हजारों महिलाओं की गाथा लिखने वालों ने लिखनी शुरू कर दी है।

मयंकी ने बढ़ाया आत्मनिर्भरता की ओर कदम

कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत नारायणपुर पंचायत की रहने वाली मयंकी मुर्मू का बचपन बेहद मुश्किलों एवं अभावों में बीता। उसके पिता बेहद गरीब थे और कम उम्र में ही शादी कर दी गई। शादी के बाद जब वह ससुराल आई तो यहां सौतेली सास ने उसे बहुत सताया। आखिरकार वह पति के साथ अलग होकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। आय का कोई स्रोत था नहीं। ऐसे में उसने अपने पति के साथ मिलकर देशी शराब एवं ताड़ी बनाकर बेचने लगी। सब कुछ ठीक–ठाक चल रहा था कि तभी उसके पति बीमार पड़ गए। पति के इलाज में पैसे खर्च होने के बावजूद भी वह अपने पति को नहीं बचा पाई। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। कभी–कभी परिजनों की मदद से उसके घर चूल्हा जलता था तो कभी–कभी मजदूरी कर बच्चों का पेट पालती थी।

सी.आर.पी. टीम द्वारा नरायणपुर पंचायत में सतत जीविकोपार्जन योजना हेतु योग्य दीदियों की पहचान की जा रही थी। इसी दौरान सी.आर.पी. दीदियों की टीम मयंकी मुर्मू के घर पहंची। इसके बाद उसका चयन सतत जीविकोपार्जन योजना हेतु कर लिया गया।

योजना के तहत अनिवार्य प्रक्रियाओं के पालन के बाद दीदी के क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। तदुपरान्त उसे ग्राम संगठन के माध्यम से 10,000 रुपये सिलाई मशीन खरीद कर दिया गया। साथ ही 8,000 रुपये मूल्य के कपड़े खरीद कर दिए गए। इससे उसने कपड़े की सिलाई का काम प्रारंभ कर दिया। इसी बीच अपने जीवन निर्वहन के लिए से एलजीआईएफ निधि के तहत सात माह तक एक–एक हजार रुपये की राशि प्रदान की गई।

मयंकी मुर्मु अपनी नई आजीविका से प्रतिदिन होने वाली आमदनी से अपना घर चलाती है। सिलाई मशीन से वह प्रतिदिन 400 से 500 रुपये तक की आमदनी अर्जित कर लेती है। जिससे उसका घर चलता है। साथ ही वह 5 रुपये प्रतिदिन बचत कर उसे बैंक में जमा करती है। अब वह अपने बच्चे को स्कूल भी पढ़ने भेजती है।

बढ़ चले खुशियाली की ओर

पूर्णियाँ जिला कि महाराजपुर पंचायत के अज्मती खातून की शादी वर्ष 2009 में उससे उम्र में कई साल बड़े जमशेद आलम के साथ करा दी थी। उनके पति गाँव में ही बच्चों को पढ़ाकर परिवार का भरण–पोषण किया करते थे। एक दिन उनके पति, गाँव से बाजार जा रहे थे, रास्ते में अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया। पति के असमय निधन से अज्मती खातून की जिंदगी में निराशा छा गई। उनके पास जीवनयापन के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। एक पैर से दिव्यांग होने के कारण उन्हें मजदूरी का कार्य भी नहीं मिलता था। दूसरे के घरों में झाड़ू – पोछा लगाकर किसी तरह अपने दोनों बच्चों का भरण – पोषण करती थीं। निराशा के बीच वर्ष 2019 में आशा के रूप में सतत् जीविकोपार्जन योजना उनके जिंदगी में आई।

दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके नजदीक के हीना जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा अज्मती खातून दीदी का चयन, अत्यंत गरीब परिवार के रुप में किया गया। सूक्ष्म व्यवसाय के रूप में उन्होंने एक किराना दुकान का चयन किया। ग्राम संगठन के माध्यम से 20,000 रूपये का सामान खरीदकर उनके किराना दुकान को प्रारंभ किया गया। व्यवसाय के पीछे काफी मेहनत कर उन्होंने दुकान की सम्पत्ति को बढ़ाकर 67,238 रूपये कर ली है। दीदी, दुकान में किराना सामान बेचने के अलावा एक सिलाई मशीन खरीदकर कपड़ा सिलाई का भी काम करती हैं। लॉकडाउन के दौरान सीएलएस की सहायता से इन्होंने सिलाई मशीन का इस्तेमाल कर 25000 का मास्क बनाकर भी बेचा था। किराना दुकान के माध्यम से उन्होंने बचत कर बकरी और मुर्गी पालन का व्यवसाय भी शुरू किया है। वर्तमान में उनकी मासिक आमदनी 5,000 से 5,500 रूपये के बीच है। उनके बैंक खाते में 53,000 रूपये जमा है। जिससे वो नास्ता का दुकान शुरू करना चाहती हैं। अज्मती खातून कहती हैं कि मैं अपने व्यवसाय को और आगे ले जाउँगी। दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाऊँगी।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से बदली जिंदगी

ये कहानी है मुन्नी देवी की। 45 वर्षीय मुन्नी देवी पटना जिला के पुनपुन प्रखंड स्थित लखनपाल पंचायत के दुलारपुर गाँव की निवासी है। दीदी का बड़ा बेटा विकलांग है और बाकी बच्चे छोटे है। पति मेघन दास का वर्ष 2019 में किसी बीमारी की चपेट में आकर इनकी मृत्यु हो गई। मुन्नी देवी और उनका परिवार ग़रीबी तो पहले से ही झेल रहा था पर पति की मृत्यु के बाद असहाय भी हो गया।

एसे में मुन्नी देवी को सहारा मिला उनके जीविका समूह से। वर्ष 2016 में ही मुन्नी देवी को जीविका समूह से जोड़ा गया था। मुन्नी देवी और उनका परिवार बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। वर्ष 2019 में उनके प्रखंड में सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत हुई। जीविका समूह की मदद एवं अनुसंशा के आधार पर मुन्नी देवी को इस योजना से जोड़ा गया। इसके अंतर्गत दीदी को 20 हज़ार लागत मूल्य की किराने की दुकान शुरु करवाई गई। 7 महीने तक प्रति माह मुन्नी देवी को एक हज़ार रूपए दिए गए। धीरे–धीरे कुछ ही माह में दीदी की दुकान में अच्छी बिक्री शुरु हो गई। दुकान को और बढ़ाने के लिए पुन : दीदी को 10 हज़ार रुपए दिए गए। सामान की खरीदारी हो या लेखा–जोखा दीदी की हर कदम पर मदद की गई।

मुन्नी दीदी बतातीं हैं कि प्रति दिन 400–500 की बिक्री हो ही जाती है। महीने का 7–8 रुपये आमदनी हो जाती है। बच्चे पढ़ रहे है हमे खाने–पीने की दिक्कत नहीं होती। सतत् जीविकोपार्जन योजना के सहारे मेरा परिवार सुकून और सम्मान के साथ अपना जीवन बिता पा रही है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना से अधूरा सपना हुआ साकार

सीतामढ़ी जिले के परसौनी प्रखंड के परसौनी मेलवार गावं की रहने वाली 31 वर्षीय रिंकू देवी। उनके परिवार का भरण पोषण उनके पति द्वारा सिर्फ ताड़ी के व्यवसाय से होने वाली आमदनी पर निर्भर थी। वर्ष 2005 में जब रिंकू देवी की उम्र 15 वर्ष थी और वो दशम कक्षा की पढ़ाई कर रही थी तभी उसकी उनके शादी कर दी गयी थी। शादी के बाद रिंकू देवी की पढ़ाई बंद हो गयी और वो अपने ससुराल परसौनी मेलवार गावं आ गयी। जब बिहार में ताड़ी और शराब को बंद कर दिया गया तो उनके परिवार का आमदनी का ज़रिया भी समाप्त हो गया। वर्ष 2020 के अक्टूबर माह में उनके पति की मौत बीमारी के कारण अचानक हो गयी तो रिंकू देवी के ऊपर दु:ख का पहाड़ टूट गया। तभी जीविका परियोजना के द्वारा चलाये जा रहे सतत जीविकोपार्जन योजना की तहत स्थानीय जीवन ज्योति जीविका ग्राम संगठन के सदस्यों द्वारा रिंकू देवी के इस विकट परिस्तिथि के कारण इनका चुनाव इस योजना के लाभार्थी के रूप किया गया। इसके तहत रिंकू देवी के इच्छानुसार उन्हें किराना दुकान खोलने हेतु सहयोग किया गया। साथ ही सभी आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए कुल 37 हज़ार रुपए ग्राम संगठन के द्वारा प्रदान की गयी जिसमे उनके दुकान हेतु सभी सामग्री की खरीदारी भी ग्राम संगठन द्वारा उसी रुपयों से कर उन्हें दी गयी। रिंकू देवी के सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ कर किराना दुकान खोलने के बाद उनके जीवन में खुशियों की किरण झिलमिलाने लगी। रोज–रोज की आर्थिक तंगी समाप्त होने लगी। वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजने लगी, साथ ही साथ खुद भी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करने लगी। वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी से उतीर्ण होकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण सपने को साकार कर लिया है। वर्तमान में रिंकू देवी अपने किराना दुकान से औसतन 5 से 7 हज़ार रुपए तक मासिक आमदनी कर लेतीं है। और वो अपने सभी बच्चों अच्छी शिक्षा दे रही है।

अत्यंत गरीब परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने एवं मुख्य धारा से जोड़ने की पहल

बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध के क्रियान्वयन का निर्णय लिए जाने के उपरांत सम्यक विचारोपरांत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार ने ''सतत् जीविकोपार्जन योजना'' शुरुआत की गई। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित बिहार जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (बीआरएलपीएस), जीविका के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे अति निर्धन परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने के अलावा जीविका स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के साथ–साथ उन्हें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इससे राज्य के अत्यंत निर्धन परिवार भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनकर विकास के रास्ते पर अग्रसर हो सकेंगे।

योजना के अन्तर्गत प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं–

क. लक्षित समुदाय: सतत् जीविकोपार्जन योजना के अन्तर्गत देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारम्परिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य समुदायों के लक्षित परिवारों को शामिल किया जाता है।

ख. योजना का उद्देश्य: लक्षित परिवारों का आजीविका संवर्द्धन, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना है।

ग. योजना की कार्यनीति: योजना के तहत क्रमिक वृद्धि कार्यनीति (ग्रेजुएशन एप्रोच) अपनाई गई है, जो विश्व बैंक तथा अन्य वैश्विक संस्थाओं द्वारा 125 से अधिक देशों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सफलतापूर्वक उपयोग में लाई जा रही है। इस कार्यनीति के महत्वपूर्ण अवयव निम्न प्रकार हैं–

1. अत्यंत गरीब परिवार की पहचान एवं लाभार्थियों का चयन
2. क्षमतावर्द्धन
3. सूक्ष्म नियोजन एवं आजीविका की विभिन्न गतिविधियों से जुड़ाव
4. जीविकोपार्जन निवेश निधि
5. जीविकोपार्जन अंतराल निधि (एलजीएफ)
6. उद्यमिता का विकास

घ. सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ जुड़ाव– अत्यंत गरीब परिवार अभी भी कई तरह की सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। ऐसे में इन परिवारों को न सिर्फ सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया है बल्कि इन्हें सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है, जैसे बिजली एवं जल की उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन एवं वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय निर्माण, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, बैंकों में बचत खाता खुलवाने एवं बीमा सुविधा, बच्चों का स्कूल से जुड़ाव किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लक्षित परिवारों को आजीविका के विकासात्मक योजनाओं यथा– समग्र गव्य विकास योजना, समग्र बकरी एवं भेड़ विकास योजना, समेकित मुर्गी विकास योजना से लाभ दिलाने हेतु संबंधित विभागों के साथ अभिसरण किया जा रहा है।

ड़. परियोजना प्रबंधन: इस अवयव के अन्तर्गत समर्पित मानव संसाधन राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर परियोजनाकर्मी कार्यरत है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर लाभार्थियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु एमआरपी कार्यरत है। मोबाइल एप्प के माध्यम से एमआरपी द्वारा लाभार्थियों के उद्यम भ्रमण एवं सहयोग से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी की जा रही है।

सतत् जीविकोपार्जन योजना के घटक: सतत् जीविकोपार्जन योजना के घटक अत्यंत निर्धन क्रमिक दृष्टिकोण के सिद्धांतों के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें क्षमता निर्माण, आजीविका गैप सहायता, उत्पादक परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, आजीविका संसाधनों का विविधिकरण और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच में बढ़त

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री अजीत रंजन, राज्य परियोजना प्रबंधक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी –परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, समस्तीपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, पूर्णिया
- श्री बिप्लव सरकार – प्रबंधक संचार, कटिहार
- श्री विकास कुमार राव – प्रबंधक संचार, सुपौल
- श्री हिमांशु पाहवा – प्रबंधक गैर कृषि